न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, बिजयनगर

राजस्व वाद पत्र सं0 69/2015

1. श्री घासीराम पुत्र स्व0 श्री चौखा जी गुर्जर
2. श्री हरजीराम पुत्र स्व0 श्री चौखा जी गुर्जर
3. श्री भालूराम पुत्र स्व0 श्री चौखा जी गुर्जर
4. श्री भैरू पुत्र स्व0 श्री चौखा जी गुर्जर

समस्त वादीगण जाति गुर्जर एवं निवासी ग्राम खूंटिया, ग्राम पंचायत बाडी, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. नौरतमल चौरडिया पुत्र स्व0 श्री लादूराम जी चौरडिया जाति महाजन चौरडिया निवासी ग्राम जालिया द्वितीय, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।

—— अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:— निर्णय :— दिनांक 01.06.2016

वादीगण ने अपने इस वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2069—72 के खाता सं0 860 में खसरा न0 3720/1 रकबा 03—13—00 व 3721 रकबा 02—06—00 व 3722 रकबा 12—00—00 कुल किता 3 रकबा 17—19—00 व खाता सं0 320 में खसरा न0 3720 रकबा 02—07—00 तथा खाता सं0 1 में 3721/1 रकबा 02—03—00 बीघा भूमियां अंकित है। जो वाद में विवादित भूमियां कहलाई जाती है।

उक्त विवादित भूमियों में प्रतिवादी सं0 1 श्री नौरतमल खातेदार था और उसने दिनांक 29.11.1978 को इन्हें वादीगण को विक्रय कर इनका बेचाननामा वादीगण के पक्ष में उपपंजीयक ब्यावर के समक्ष उपस्थित होकर पंजीयन करवा दिया था। तब से वादीगण उक्त भूमियों में मालिक होकर काबिज काश्त चले आ रहे है, लेकिन अज्ञानतावश वादीगण ने इनका दाखिला अपने नाम नहीं करवाया है। वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 से खसरा न0 3720 रकबा 06—00—00 व 3721 रकबा 04—09—00 व 3722 रकबा 12—00—00 कुल रकबा 22—09—00 बीघा खरीद की है जिनमें से खसरा न0 3720/1 रकबा 03—13—00 व 3720 रकबा 02—07—00 व 3721 रकबा 02—06—00 तथा 3722 रकबा 12—00—00 आज भी प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज चली आती है तथा खसरा न0 3721/1 रकबा 02—03—00 बीघा भूमि सरकारी खाते लगा दी गई है जो पूर्णतया गलत एवं अवैधानिक है। जिनमें वादीगण खातेदारी पाने के अधिकारी है। जिस बाबत् तहसीलदार महोदय से निवेदन करने पर उन्होने वादीगण के पक्ष में विवादित भूमियों का दाखिला करने से मना कर दिया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण वादीगण द्वारा विवादित अराजी में फसल बोते वक्त विवाद उत्पन्न कर सकते हैं इसलिए वादीगण के हक में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण तय किया जाकर यह घोषित किया जावे कि वादीगण विवादित अराजी में खातेदारी अधिकार पाने के अधिकार पाने के अधिकारी है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई लेना—देना नहीं है। विवादित अराजी वादीगण के नाम लगाई जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के विवादित अराजी में चले आ रहे कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं कार्यवाही बेदखली आदि से निषेध किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

आज पत्रावली न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प मु. जालिया द्वितीय पेश हुई। पक्षकारान को आवाजें लगवाई गई। प्रतिवादी सं0 1 स्वयं या उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। उसके विरूद्ध बावजूद

तामिली सम्मन के अनुपस्थित रहने से दिनांक 27.11.2015 को एक तरफा कार्यवाही की जा चुकी है। वादीगण असालतन वकालतन हाजिर तथा पैरोकार प्रतिवादी सं0 2 उपस्थित। उन्हें सुना गया। वकील वादीगण के तर्क रहे कि उन्होंने विवादित भूमियों को दिनांक 29.11.1978 को बिल एवज प्रतिफल खरीद किया है तथा इनमें रहे खातेदार प्रतिवादी सं0 1 नौरतमल ने साधिकार हमारे पक्ष में उपपंजीयक ब्यावर के समक्ष उपस्थित होकर बयनामा पंजीबद्ध करवाया है। बयनामा निष्पादन दिवस को ही प्रतिवादी सं0 1 ने मौके पर हमें भौतिक रूप से विवादित भूमि का कब्जा संभला दिया था तब से हम उनमें काबिज काश्त उपयोग उपभोग में चले आते हैं इसलिए हम उनमें साधिकार खातेदार हो चुके हैं अतः वाद बहक हमारे डिक्री किया जावे तथा हमें उनमें खातेदार घोषित कर ये भूमियां हमारे नाम लगाई जावे तथा हमारे कब्जे काश्त में दखलंदाजी से प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जावे।

विर्तक में पैरोकर प्रतिवादी सं0 2 ने कथन किया कि विवादित अराजी गैर खातेदारी एवं सिवायचक होने से वादीगण खातेदारी पाने के अधिकारी नहीं है। बहस रिबुटल में वकील वादीगण ने कथन किये कि विवादित भूमियों में विक्रेता सन् 1965 से आवंटी चला आया है और उसने 1978 में हमें बेची है तब वह खातेदार हो चुका था तथा वर्तमान व्यवस्था सन् 1965 से आवंटी होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 पर लागू नहीं होती। अतः हमारा वाद स्वीकार कर हमें खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावें।

मैंने उभयपक्षान के तर्क–वितर्क के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया। अभिलेख पर उपलब्ध ग्राम जालिया द्वितीय की जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता सं0 903 के खसरा न0 3720/1 रकबा 03–13–00 व 3721 रकबा 02–06–00 तथा 3722 रकबा 12 बीघा में गैर खातेदार तथा खाता सं0 320 के खसरा न0 3720 रकबा 02–07–00 बीघा में प्रतिवादी सं0 1 नौरतमल बहैसियत खातेदार दर्ज है तथा खाता सं0 1 के खसरा न0 3721/1 रकबा 02–03–00 बीघा सरकारी सिवायचक भूमि है। वादी वकील के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 नौरतमल को खाता सं0 903 की अराजी सहित खाता सं0 320 व खाता सं0 1 की अराजी सन् 1965 में आवंटित की गई थी। बेचाननामा दिनांक 29.11.1978 को प्रतिवादी सं0 1 ने वादीगण के पक्ष में निष्पादित किया था। ऐसी स्थिति में बेचाननामा को दृष्टिगत रखते हुए वकील वादीगण के यह कथन सही पाये जाते हैं कि प्रतिवादी सं0 1 विवादित अराजी में सन् 1965 से आवंटी है अतः नियमानुसार सन् 1978 में वरवक्त बेचान वह विवादित अराजी में खातेदार हो चुका था। ऐसी स्थिति में वादीगण केवल खाता सं0 903 व 320 की अराजी में ही घोषणा अधिकार खातेदार कराने के अधिकारी पाये जाते हैं। खाता सं0 1 की अराजी क्योंकर सरकारी खाते गई वादीगण सिद्ध करने से कासिर रहे हैं।

अतः वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है और वादीगण को मौजा जालिया द्वितीय स्थित अराजी खसरा न0 3720/1 रकबा 03–13–00 व 3721 रकबा 02–06–00 व 3722 रकबा 12 बीघा तथा 3720 रकबा 02–07–00 वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है यथानुसार राजस्व अभिलेख में अमल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी आदि से निषेध किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2016 को ''न्याय आपके द्वार'' कार्यक्रम मुकाम जालिया द्वितीय पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर बिजेयनगर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.27 16:41:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: